न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 05/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामअवतार पुत्र श्री राधेश्याम,
2. मीठालाल पुत्र श्री राधेश्याम,
3. हरीप्रसाद पुत्र श्री राधेश्याम

समस्त जातियान जांगिड वासी ग्राम जामडोली तहसील रैणी हाल निवासी रैणी जिला अलवर राज0

.....अप्रार्थीगण अपीलांटस

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र श्री नत्था,
2. रामस्वरूप पुत्र नारायण,
3. कैलाश पुत्र नारायण,
4. जगन पुत्र हुकमा
5. मूला पुत्र हुकमा,
6. रामकिशोर पुत्र खैराती,
7. चिरंजी पुत्र खैराती,
8. छोटेलाल पुत्र खैराती,
9. जगदीश पुत्र भगवानसहाय

जाति माली निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

.....प्रार्थीगण रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :–
1. श्री विजय कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.02.2020

यह अपील विद्वान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 08.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1–2 जा.दी के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 1001/6967 रकबा 0.20 है0 किस्म बंजड वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी में स्थित है। इस

आराजी में रेस्पो0 प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 9 का प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा है। आराजी वादीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की आराजी के पास खरीदशुदा भूखण्ड स्थित होने के कारण प्रार्थीगण से रंजिश रखते हैं और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत करते हैं। जबरन प्रार्थीगण की आराजी विवादित पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते हैं इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विवादित आराजी खसरा नंबर 1001/6967 रकबा 0.20 है. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला पाबन्द किया है कि वो विवादित आराजी की मौका स्थिति यथावत बनाये रखे।कार्यकाश्त प्रार्थी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करें। निर्माण न करें। जिस आदेश दिनांक 08.11.2016 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कथन किया कि अपीलांटस का प्लाट आराजी खसरा नंबर 1001, 1003, 1004 वाके ग्राम रैणी में स्थित है। अपीलांटस अप्रार्थीगण के इस प्लाट के पास लगते हुये चारों तरफ रेस्पो0 की आराजी विवादित खसरा नंबर 1001/6967 व अन्य कोई आराजी रेस्पो0 स्थित भी नही है क्योंकि अपीलांटस के इस प्लाट के तरफ उत्तर को आराजी खसरा नंबर 1001 में स्थित राधेश्याम सैन का रिहायशी मकान है जिसमें वह परिवार सहित रिहायश करता है व तरफ दक्षिण में शारदा देवी पत्नी सतीश शर्मा का चार दीवारी प्लाट, तरफ पश्चिम में सडक सरकारी मेनरोड रैणी से राजगढ तथा पूर्व में आराजी खसरा नंबर 1003, 1004 का भाग स्थित है तो अपीलांटस रेस्पो0 के कब्जे काश्त में कैसे बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अपीलांटस ने प्लाट का मौके का असल नक्शा ब्लू प्रिंट बनवाकर पेश किया और प्लाट के मौके की चारों तरफ की फोटो अधीनस्थ न्यायालय में पेश की लकिन तहत अदालत द्वारा मौका व रिकार्ड के खिलाफ आदेश पारित किया है। अपीलांटस अप्रार्थीगण अपने खरीदशुदा प्लाट जो आराजी खसरा नंबर 1001, 1003 व 1004 वाके ग्राम रैणी में स्थित है, पर वक्त खरीद सन 1997 से मय बाउण्ड्रीवाल व कुर्सी लेवल तक निर्माण सहित काबिज है। अपीलांटस आराजी खसरा नंबर 1003 में हिस्सा 3/7 व आराजी खसरा नंबर 1004 में समभाग 0.02 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार हैं जिसे इन्होंने तारीख 26.12.1997 को खातेदार हीरालाल पुत्र टीका माली से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा नेक नियति से खरीदा तथा प्लाट का पश्चिमी भाग जो आराजी खसरा नंबर 1001 में स्थित है दिनांक 01.11.97 को रामजीलाल खातेदार से जरिये इकरारनामा नेक नियति से खरीद किया आराजी खसरा नंबर 1001 का कनवर्जन आबादी में हो गया है। समर्थन में अपीलांट ने तहत अदालत में नकल बयनामा, नकल इकरारनामा, हाल जमाबंदी, ग्राम पंचायत रैणी के पटटों की नकलें पेश की लेकिन तहत अदालत द्वारा इन दस्तावेजों पर गौर नही किया। तहत अदालत ने आराजी खसरा नंबर 1001 का किस्म आबादी में कनवर्जन होना, आराजी खसरा

नंबर 1003, 1004 के हिस्से का अपीलांटस का रिकार्डेड खातेदार होना, अपीलांटस के प्लाट के लगते हुये रेस्पो0 का किसी भी आराजी का ना होने जैसे महत्वपूर्ण मुददों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 1001/6967 रेस्पो0 वादीगण राजस्व रिकार्ड में किस्म बंजड दर्ज है जिसका कोई साबिक रिकार्ड नही है ना ही वादीगण रेस्पो0 ने बताया कि यह हाल नंबर किस साबिक खसरा नंबर से बना है व हाल नक्शे में भी इसकी स्थिति स्पष्ट नही है। रेस्पो0 को इस बंजड जमीन के खातेदारी हकूक कानूनन प्राप्त नही हो सकते। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ दिनांक 08.11.2016 खारिज फरमाया जावे।

जबाव में अधिवक्ता रेस्पो0 का बहस के दौरान कथन है कि आराजी खसरा नंबर 1001/6967 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी में प्रार्थी रेस्पो0 संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं रेस्पो संख्या 2 लगायत 9 का प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा है। जो आराजी वादीगण रेस्पो0 के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। अपीलांटस का रेस्पो0 की आराजी विवादित से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है किंतु अपीलांटस, रेस्पो0 की आराजी के पास अपना खरीदशुदा भूखण्ड स्थित होने के कारण रेस्पो0 से रंजिश रखते हैं। जबरन रेस्पो0 की आराजी विवादित पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते हैं। अपीलांटस, रेस्पो0 की आराजी विवादित को अपना खरीदशुदा प्लाट बताकर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश दस्तावेज व साक्ष्यों का अवलोकन किया।बहस पर मनन किया गया।

विवादित आराजी खसरा नंबर 1001, 1003, 1004 है जिसके पूर्व में 2003, 2004 एवं पश्चिम में डाबर सडक सरकारी, उत्तर में 1001 में राधेश्याम का मकान, दक्षिण में चारदीवारी शारदा देवी है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 1001 के पश्चिम में रामजीलाल धोबी से खरीद की गई है। इसके बगल में रेस्पो संख्या 3 द्वारा भी 1003, 1004 में भी मकानात बना रखे हैं।

पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 03.11.11 के द्वारा भी विवादित आराजी से रेस्पो0 का कोई संबंध नही है। नक्शा किश्तवार संवत 2042–43 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1001/6967 विवादित आराजीयात से आपस में लगी हुई नही है, मिले हुये नही हैं। उक्त खसरा नंबर 1001/6967 एवं खसरा नंबर 1001, 1003, 1004 के मध्य अन्य दीगर मकानात बने हुये हैं जैसा कि उपर्युक्त पैरा में विवेचन किया गया है। तहत अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त तथ्यों की सही विवेचना की गई है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते समय मुख्य रूप से 'कब्जा' का प्रश्न महत्वपूर्ण है एवं कब्जा भी विधिक रूप से होना चाहिये। अपीलांट विवादित आराजीयात पर विधिक रूप से क्रय किये जाने के समय से ही काबिज है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 08.11.2016 निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 25.2.2020
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर